- जननी सुरक्षा योजना (क्लिक करें)
- दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना (क्लिक करें)
- जननी एक्सप्रेस योजना (क्लिक करें)
- दीनदयाल चलित अस्पताल योजना (क्लिक करें)
- राज्य जिला बीमारी सहायता निधि (क्लिक करें)

Mk-, l-vkj-pkSgku
eq-fpfd-,oa Lok-vf/k- flouh

tuuh lqj{kk ;kstuk

;kstuk dk Lo:i &

शासकीय अस्पताल मे प्रसव के उपरान्त सहायता ।

;kstuk dh rgr ns; ykHk

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत शासकीय अस्पतालों के सामान्य वार्ड में प्रसव उपरान्त हितग्राही को शहरी क्षेत्र मे कुल राशि 1200/- प्रसव पश्चात दी जाती है जिसमे से लाभान्वित हितग्राही माता को 1000/- एवं प्रेरक को 200/- रू0 की राशि प्रदाय की जाती हैं, ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय अस्पताल में भर्ती होने वाले हितग्राही/प्रेरक को कुल 1750/- रू0 प्रदाय की जाती है जिनमे से गर्भवती माता को 1400/- रू0 प्रेरक को 200/-रू0, अन्य भत्ते 150/- रू0 प्रदाय किये जाते है।

;kstuk grq vkosnu dk rjhdk ,oa vko';d nLrkost

शासकीय अस्पताल मे भर्ती मरीजो के लिये एवं जच्चा बच्चा रक्षा कार्ड की छाया प्रति।

vkosnu fdlsa iLrqr djuk gS

जिस शासकीय संस्था मे प्रसव हेतु भर्ती होना है।

xr o"kZ dk y{;

24500

bl o"kZ dk y{;

24500

Mk-, l-vkj-pkSgku
e-fpfd-,oa Lok-vf/k- flouh

nhun;ky vR;ksn; mipkj ;kstuk

;kstuk dk Lo:i &

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को चिकित्सा सहायता प्रदान करना ।

ik=rk dh 'krsZ &

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को उपचार की पात्रता।

;kstuk ds rgr ns; ykHk &

यह योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे सभी गरीब व्यक्तियों को शासकीय अस्पताल में भरती होने पर निःशुल्क इलाज प्रदाय कराने की है। एक परिवार के कुल सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रू. 20,000 की सहायता उपलब्ध होगी। जिसके लिए एक दीन दयाल अंत्योदय उपचार कार्ड बनाकर दिया जाता है, जिसमें परिवार के सदस्यों में होने वाले उपचार के व्यय का व्यौरा दर्ज किया जाता है।

;kstuk gsrq vkosnu dk rjhdk ,oa vko';d nLrkost &

दीनदयाल अन्त्योदय (स्वास्थ्य) उपचार कार्ड ।

vkosnu fdls izLrqr djuk gS &

आवेदन आवश्यक नही है। गरीबी रेखा कार्ड की सत्यापित छायाप्रति एवं कार्डधारी मुखिया की दो फोटो संबंधित क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्था में प्रस्तुत किये जाकर निःशुल्क दीनदयाल अंत्योदय (स्वास्थ्य) उपचार कार्ड बनाये जाते है।

xr o"kZ dk y{; &

समस्त पात्र परिवारों को योजनांतर्गत उपचार की सुविधा उपलब्ध कराया जाना।

bl o"kZ dk y{; &

समस्त पात्र परिवारों को योजनांतर्गत उपचार की सुविधा उपलब्ध कराया जाना।

Mk- ,l-vkj-pkSgku
eq-fpfd-,oa Lok-vf/k- flouh

tuuh ,Dlizsl ;kstuk

;kstuk dk Lo:i &

इस योजना के तहत प्रसव हेतु गर्भवती महिलाओं एवं गंभीर कुपोषित बच्चों को अनुबंधित वाहन द्वारा प्रसव एवं गंभीर कुपोषित बच्चों के उपचार हेतु संस्था मे पहुॅचाने की व्यवस्था की जाती है।

ik=rk dh 'krsZ &

प्रसव हेतु गर्भवती महिला एवं गंभीर कुपोषित बच्चे।

;kstuk ds rgr ns; ykHk &

प्रसूतिका को प्रसव एवं गंभीर कुपोषित बच्चों के उपचार हेतु पोषण पुर्नवास केन्द्र में पहुचाने हेतु परिवहन व्यवस्था बावत सहायता ।

;kstuk gsrq vkosnu dk rjhdk ,oa vko';d nLrkost &

दूरभाष के माध्यम से एंव सम्पर्क करने पर वाहन घर पर उपलब्ध हो जाता है।

vkosnu fdls izLrqr djuk gS &

कोई आपैचारिकता नहीं ।

xr o"kZ dk y{; &

शत प्रतिशत ।

bl o"kZ dk y{; &

शत प्रतिशत ।

Mk-, l-vkj-pkSgku
eq-fpfd-,oa Lok-vf/k- flouh

nhun;ky pfyr vLirky ;kstuk

;kstuk dk Lo:i &

आदिवासी वाहुल्य क्षेत्रो में जन समुदायों का उपचार कर स्वास्थ्य लाभ पहॅुचाना।

ik=rk dh 'krsZ &

यह योजनान्तर्गत 05 आदिवासी विकासखण्ड लखनादौन, कुरई, छपारा, धनौरा एवं घंसौर मे निवासरत समस्त ग्रामवासी ।

;kstuk ds rgr ns; ykHk &

आदिवासी वाहुल्य क्षेत्रो में जन समुदाय का उपचार कर स्वास्थ्य लाभ पहॅुचाना।

;kstuk gsrq vkosnu dk rjhdk ,oa vko';d nLrkost &

कोई औपचारिकता नही।

vkosnu fdls izLrqr djuk gS &

कोई औपचारिकता नही।

xr o"kZ dk y{; &

नियत नहीं ।

bl o"kZ dk y{; &

नियत नहीं ।

Mk-, l-vkj-pkSgku
eq-fpfd-,oa Lok-vf/k- flouh

jkT;@ftyk chekjh lgk;rk fuf/k ;kstuk

;kstuk dk Lo:i &

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्यों को चिन्हांकित गंभीर बीमारी होने पर उपचार के लिए सहायता उपलब्ध कराया जाना।

fpfUgr chekfj;k %& 13

(1) कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियाथेरेपी, (2) रीनल सर्जरी एवं रीनल ट्रान्सप्लांटेशन (3) हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट (4) घुटने का बदलना (5) सिर की चोट (जिसमें ऑपरेशन की आवश्यकता हों) (6) स्पाइनल सर्जरी (7) रेटिनल डिटेचमेंट (8) प्रसवोत्तर जटिलतायें (9) हृदय सर्जरी (10) वक्ष रोग शल्यक्रिया (11) ब्रेन सर्जरी (12) न्यूरो सर्जरी (13) एम.डी.आर. ।

ekU;rk izkIr fpfdRlky; %&

(अ) सभी शासकीय चिकित्सालय/महाविद्यालयीन चिकित्सालय
(ब) राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय
(स) चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदेश के बाहर के निजी चिकित्सालय

ik=rk dh 'krsZ &

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार जिनके पास गरीबी रेखा का कार्ड होगा।

;kstuk ds rgr ns; ykHk &

सम्बंधित चिकित्सालय के नाम से इलाज हेतु सहायता राशि राज्य स्तर से राशि रू 75000–150000 तक तथा जिला स्तर से राशि रू 25000–75000 तक

;kstuk gsrq vkosnu dk rjhdk ,oa vko';d nLrkost &

मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र एवं निम्नाकिंत दस्तावेज :–

1. गरीबी रेखा सम्बंधी बी.पी.एल. राशन कार्ड की अभिप्रमाणित छाया प्रति।
2. मूल निवासी प्रमाण–पत्र– सक्षम अधिकारी का अभिप्रमाणित प्रति।
3. हितग्राही के पासपोर्ट साईज के दो छायाचित्र।
4. योजनांतर्गत मान्यता प्राप्त चिकित्सालय से उपचार में होने वाले व्यय का प्राक्कलन।
5. पूर्व में किसी अन्य शासकीय योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं है, संबंधी शपथ पत्र।
6. निर्धारित प्रपत्र में गरीबीरेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण । (नगरपालिका/नगरपंचायत – मुख्य नगरपालिका अधिकारी, विकासखंडों – मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत)

vkosnu fdls izLrqr djuk gS &

मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में समस्त दस्तावेजों के साथ ।

xr o"kZ dk y{; &

लक्ष्य नियत नहीं ।

bl o"kZ dk y{; &

लक्ष्य नियत नहीं ।

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

MkW-, l-vkj-pkSgku
eq-fpfd-,oa Lok-vf/k- flouh